प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील क्रमांक 150/2003

अपीलार्थी/दावाकर्ता - नेतराम साहू, पिता – राम सिंह उर्फ रामसिंह साहू, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी – ग्राम गैंजी, थाना – ललपुर, जिला – बिलासपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण - 1. मुकेश इसाई, पिता सिल्लू इसाई, आयु 34 वर्ष, निवासी बड़े बरेला, थाना जरहागांव, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

2. लक्ष्मी चंद सचदेवा, पिता खेमचंद सचदेवा, निवासी मेन रोड तखतपुर, थाना तखतपुर, जिला बिलासपुर

3. द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द्वारा शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, राजेंद्र नगर चौक, तहसील एवं जिला बिलासपुर।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>उपस्थित</u>:-

अपीलार्थी की ओर से श्री अनील पाण्डेय, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क्रमांक 3 की ओर से श्री आनंद कुमार गुप्ता, अधिवक्ता

आदेश (मौखिक)

(दिनांक 20.03.2007 को पारित)

दावाकर्ता ने मोटर यान अधिनियम की धारा 173 के तहत यह अपील 5वें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बिलासपुर द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 127/2001 में

पारित दिनांक 24 अक्टूबर 2002 के अधिनिर्णय से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। इस अधिनिर्णय के माध्यम से विद्वान अधिकरण ने स्थायी निःसक्तता के विरुद्ध 1,20,000/- रुपये, चिकित्सा व्यय के लिए 10,000/- रुपये, और मानसिक कष्ट के लिए 10,000/- रुपये की राशि प्रदान की है, इस प्रकार प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के विरुद्ध कुल 1,40,000/- रुपये की राशि का अधिनिर्णय किया गया है।

दावाकर्ता का प्रकरण यह था कि दिनांक 9-5-2001 को वह अपने गाँव जाने के लिए बिलासपुर में मिनी बस, जिसका पंजीयन क्रमांक M.P.-26-C/5638 है, पर सवार हुआ। इसमें प्रत्यर्थी क्रमांक 1 उक्त बस का चालक था, जबकि प्रत्यर्थी क्रमांक 2 बस का स्वामी था। प्रत्यर्थी क्रमांक 1 ने बस को बहुत तेज गति से, लापरवाही और उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाना शुरू किया और ग्राम जोरापारा के पास सड़क के दाईं ओर खड़े एक पेड़ से बस टकरा गई। उस दुर्घटना के परिणामस्वरूप, दावाकर्ता के दाहिने हाथ में अस्थिभंग की चोट आई। उसे चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान, उसका दाहिना हाथ काट दिया गया जिसके कारण उसे स्थायी निःसक्तता हुई है और वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दावाकर्ता बढ़ई के रूप में कार्य कर रहा था, जिससे वह 100/- रुपये प्रतिदिन अर्थात 3,000/- रुपये प्रति माह अर्जित करता था। इसलिए, वह 8,85,000/- रुपये के दावे और उस पर 15% ब्याज का हकदार है। पक्षकारों को अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। आक्षेपित अधिनिर्णय के माध्यम से, विद्वान अधिकरण ने साक्ष्यों के परीक्षण के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि यह स्वीकार्य है कि दावाकर्ता का दाहिना हाथ काट दिया गया है, लेकिन फिर भी वह कुछ न कुछ अर्जित कर रहा होगा, इसलिए उसके आधार पर 1,500/- रुपये प्रति माह की हानि का आकलन करना उचित है। अपनी व्यक्तिगत आजीविका के व्यय के बाद, वह अपने परिवार पर 1,000/- रुपये प्रति माह व्यय करता होगा। दुर्घटना के समय दावाकर्ता की आयु 42 वर्ष थी। एक व्यक्ति की सामान्य अपेक्षित आयु 60-65 वर्ष होती है, अतः 10 का गुणांक लगाकर अधिकरण ने 1,20,000/- रुपये का प्रतिकर प्रदान किया है।

दावाकर्ता/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रथम दृष्टया, जब दुर्घटना के समय दावाकर्ता की आयु 42 वर्ष थी, तो विद्वान अधिकरण को मोटर यान अधिनियम, 1988 के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार 15 का गुणांक लागू करना चाहिए था। दावाकर्ता/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का दूसरा तर्क यह था कि इस प्रकरण में दावाकर्ता अभी जीवित है, इसलिए अधिकरण के लिए दावाकर्ता की आय का एक-तिहाई हिस्सा काटना उचित नहीं था; ऐसी कटौती केवल कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु के मामले में की जा सकती है जब दावा आश्रित परिवार के सदस्यों द्वारा दायर किया जाता है। दावाकर्ता/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तीसरा तर्क यह था कि अधिकरण का यह निष्कर्ष कि "दाहिने हाथ के कटने के बाद भी वह कुछ अर्जित कर रहा होगा," ठोस तर्क पर आधारित नहीं है। दावाकर्ता का दाहिना हाथ काट दिया गया है, इसलिए उसे स्थायी निःसक्तता हुई है और वह अपना बढ़ईगिरी का कार्य करने में सक्षम नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसके विपरीत, प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता ने अधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय का समर्थन किया।

अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि दुर्घटना के समय दावाकर्ता की आयु 42 वर्ष थी, जिसे प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता ने चुनौती नहीं दी है। अतः, विद्वान अधिकरण ने 10 का गुणांक गलत तरीके से लागू किया है, इसके बजाय अनुसूची के अनुसार 15 का गुणांक लागू किया जाना चाहिए था।

अधिकरण का यह निष्कर्ष कि "दाहिने हाथ के कटने के बाद भी दावाकर्ता कुछ अर्जित कर रहा होगा," किसी ठोस तर्क या साक्ष्य पर आधारित नहीं है क्योंकि दावाकर्ता ने अपने साक्ष्य के कंडिका-7 में स्पष्ट रूप से कहा है कि दाहिने हाथ के कटने के बाद वह कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं है। जब दावाकर्ता का दाहिना हाथ काट दिया गया है, तो उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अपना बढ़ईगिरी का कार्य करने में सक्षम होगा। प्रतिपरीक्षण में उसने कहा है कि दाहिने हाथ के कटने के बाद वह बढ़ईगिरी का कार्य नहीं कर रहा है। अतः अधिकरण का निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है। दावाकर्ता

को स्थायी निःसक्तता हुई है, इसलिए वह उस पूरी आय के दावे का हकदार है जो वह दुर्घटना के समय अर्जित कर रहा था। इस संबंध में, मुझे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **प्रताप नारायण सिंह देव बनाम श्रीनिवास सबता एवं अन्य,** एआईआर **1976** एससी **222** के मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि यदि किसी बढ़ई को रोजगार के दौरान व्यक्तिगत चोट आती है और कोहनी से उसका बायां हाथ काट दिया जाता है, तो चूंकि बढ़ई एक हाथ से कार्य नहीं कर सकता, इसलिए उसकी अक्षमता पूर्ण मानी जाएगी, न कि आंशिक।

अब आय की बात करें तो दावाकर्ता ने कहा है कि वह बढ़ईगिरी का कार्य करता था और प्रतिदिन 100/- रुपये अर्जित करता था। उसने आगे बताया कि वह अपने गांव में अपने आवास पर बढ़ईगिरी का कार्य करता था। यह सामान्य जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महीने के सभी दिनों के लिए कार्य मिलना कठिन होता है। सामान्यतः, ग्रामीण इलाकों में बढ़ई को महीने में बमुश्किल 20 दिन ही काम मिल पाता है, इसलिए पूरी संभावना है कि दावाकर्ता प्रतिमाह 2,000/- रुपये कमा रहा होगा। इस प्रकार, उसकी आय की हानि का आकलन 2,000/- रुपये प्रति माह किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपरोक्त कारणों से, दावाकर्ता 3,60,000/- रुपये अर्थात (2,000/- रुपये x 12 x 15) के दावे का हकदार है, जो दावाकर्ता के उपरोक्त दावे के विरुद्ध 3,60,000/- रुपये आता है। विद्वान अधिकरण पहले ही 1,20,000/- रुपये प्रदान कर चुका है, इसलिए दावाकर्ता पहले से प्रदान की गई राशि के अतिरिक्त 2,40,000/- रुपये का हकदार है।

परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी क्रमांक 3 को निर्देशित किया जाता है कि वह अधिकरण द्वारा अधिनिर्णित राशि के अतिरिक्त 2,40,000/- रुपये का और भुगतान करे। दावाकर्ता आवेदन की तिथि से 2,40,000/- रुपये की राशि पर 9% की दर से ब्याज का हकदार होगा।

सही/-

(एल.सी. भादू,)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur